राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
160/2021	ख्याली / ख्याली	
168/2021	ख्याली / तहसीलदार	1.

17/11/21

आज यह दोनो अपील पत्रावलियां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नगत आराजीयात का उल्लेख करते हुए अंकित किया कि प्रश्नगत आराजीयात का वादी के पडदादा गुमान सिंह का बडा भाई मूल्या पुत्र रूमाला खातेदार काश्तकार था जो अविवाहित फौत हो गया। वाद में शेष विवरण अंकित करते हुए उल्लेखित किया कि सन्दर्भित सम्पूर्ण आराजी का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है लेकिन मूल खातेदार मूल्या के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो पा रहा है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती फरमाई जाकर मूल्या के पिता का नाम रूमाला राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे, साथ ही तहसीलदार कोटपूतली द्वारा एक अनुशंषा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई जिसमें मूल खातेदार मूल्या के पिता का नाम रूमाला होना वर्णित किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.01.2020 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में मूल्या के पिता का नाम रूमाला जाति चमार का इन्द्राज किये जाने के निर्देश देते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसके विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष यह दो अपीलें पृथक–पृथक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 123/2018 एवम् 326/2019 प्रस्तुत की गई जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान् सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदियों की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार अपीलार्थी के बुजुर्ग, लादू, हेमा व खेमचन्द थे किन्तु वादी/रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर मूलिया का नाम गलत दर्ज करवा लिया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह सिद्व होता हो कि प्रश्नगत आराजी मूलिया पुत्र ख्याली के खाते की आराजी रही हो न ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मूलिया की वल्दियत के सन्दर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, तहसीलदार द्वारा निराधार अनुशंषा किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया है जबकि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार अपीलार्थी के पूर्वजों के होने से प्रश्नगत आराजी का अपीलार्थी काबिज काश्तकार है। अतः अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार होने से उसके नाम की दुरूस्ती फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने इस संदर्भ में न्यायालय हाजा का ध्यान प्रमाणित प्रतियां खसरा गिरदावरियों की ओर भी आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम अंकित होने से अपीलार्थी स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उपरोक्त बहस के आधार पर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

вतकता . ओ कुमा

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	160/2021 ख्याली/ख्याली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 168/2021 ख्याली/तहसीलदार 2.	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी हुए

आगे निवेदन किया कि उनके द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिस हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद प्रस्तुत किया है चूंकि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार वाद नहीं था जिससे उसे निर्णय जैर निर्णय जैर अपील की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी प्रथम बार अपील प्रस्तुत किये जाने के एक सप्ताह पूर्व तब हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर अपीलान्ट को भूमि खाली करने हेतु कहा एवम् कहा कि प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में उसने अपना नाम अंकित करा लिया है तत्पश्चात् अपीलार्थी ने जानकारी कर निर्णय एवम् डिक्री जैर अपील की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर बिना विलम्ब किये प्रस्तुत कर दी। अतः अपीलें अंदर मियाद जानकारी की दिनांक से प्रस्तुत किया जाना शुमार किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए जिन्होने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा पूर्ण जांच के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय को अपनी अनुशंषा प्रेषित की गई है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में डिक्री पारित की गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सही आधार पर पारित की गई होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा वाद में अंकित प्रश्नगत आराजीयात के तथाकथित मूल खातेदार मूलिया की वल्दियत के अंकन के संदर्भ में एवम् तत्पश्चात् उसका वारिस होने के आधार पर घोषणा चाही गई थी। वाद पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य कतई स्पष्ट नहीं होता है कि मूलिया की वल्दियत के अंकन के सन्दर्भ में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत किया गया है, न ही वाद के साथ वादी द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हो जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रश्नगत आराजी का मूल खातेदार मूलिया ही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद ख्याली पुत्र श्योदान चमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जबकि इस न्यायालय के समक्ष अपीलें ख्याली पुत्र रामनारायण अहीर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपनी अपीलों में अंकित किया है कि प्रश्नगत आराजी उसके बुजुर्गान लादू, हेमा, खेमचन्द के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलार्थी ने प्रश्नगत आराजी के पूर्व खसरा नंबरान का भी अंकन किया है जिनका इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार लादू, हेमा व खेमचन्द के नाम होना दर्शित है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पारित नहीं होने से संदिग्ध प्रतीत होती है एवम् चूंकि एक ही नाम के दो व्यक्ति वादी एवम् अपीलार्थी होने से एवम् उनकी वल्दियत अलग-अलग होने से प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार के सन्दर्भ में एवम् उनके वारिसान के सन्दर्भ में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता प्रतीत होती है जिससे अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

Jui22

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	160/2021 ख्याली / ख्याली 168/2021 ख्याली / तहसीलदार 3	

पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध होता है एवम् चूंकि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं था। अतः जानकारी की दिनांक से ही उसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी होना माना जायेगा।

अतः अपीलार्थी द्वारा अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी व धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किये जाते है एवम् अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2020 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि अधिनस्थ न्यायालय वाद में विचारणीय बिन्दुओं पर पुनः दोनो पक्षों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, वाद का निस्तारण करें। निर्णय की एक–एक प्रति दोनो अपील पत्रावलियों पर संलग्न करें। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर